सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 54/2018

1. घासी
2. सीताराम पिसरान सुखदेव जाति बलाई निवासी जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमति प्रेमलता पत्नी प्रेम नारायण जाति बैरवा निवासी 121, टैगोर नगर करतारपुरा, 22 गोदाम, जयपुर
2 मूलचंद पुत्र सुखदेव
3. बाबूलाल पुत्र सुखदेव
4. राम प्रसाद पुत्र सुखदेव जाति बलाई निवासी जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दौसा
6. श्री संतोष गोयल पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री रमेश खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री उमेश कुमार गौड अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से

निर्णय

दि0 02.05.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी प्रेमलता बनाम घासी मु0नं0 104/12 विचाराधीन है । प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। जो गलत आधारों पर पेश किया गया है। अप्रार्थीगण गॉव में ऐलानियॉ कह रहे है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गयी है। प्रकरण का जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला हो जावेगा। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नजदीक तारीख पेशियॉ दे रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को चैम्बर में घुसते निकलते देखा है, इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्य झूॅठे एवं कपोल कल्पित है पीठासीन अधिकारी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा न ही गॉव में कभी कुछ कहा। माननीय न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 06.03.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य प्रकरण उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है तथा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र में अंकित किया है। गॉव में कोई कुछ भी कह सकता है, जिसका कोई आधार नहीं है। पीठासीन अधिकारी का चैम्बर सार्वजनिक होने से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से आ जा सकता है। मात्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कई बिन्दु उठाये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। इसलिए पूरे प्रकरण का अध्योपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद है। जो चलने योग्य नही है। अतः प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 02 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा